केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/1/2024/ई-100059 **01/02/2024**

परिपत्र

विषय: वर्ष 2023-24 प्राइवेट छात्रों के संबंध में प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाओं के संचालन के लिए दिशानिर्देश

आवश्यकता और परीक्षा उपविधियों में निहित प्रावधानों के अनुसार, **कक्षा-XII के प्राइवेट छात्रों** की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाएं आयोजित की जानी अपेक्षित हैं:

(1) वर्ष 2023 के छात्र जिनके प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) विषयों के अंक प्रैक्टिकल में पुन: परीक्षा (आरपी)/ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पुन: परीक्षा (आरबी)/अनुपस्थित होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

(2) वर्ष 2022 के छात्र जिनके प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) विषयों के अंक प्रैक्टिकल में पुन: परीक्षा (आरपी)/थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पुन: परीक्षा (आरबी)/अनुपस्थित होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

(3) वर्ष 2021 और उससे पहले के छात्र, जिन्होंने अपने संबंधित प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) विषय में प्राइवेट श्रेणी में सभी विषयों में आवेदन किया है।

प्रैक्टिकल घटक न होने वाले विषयों के संबंध में, कोई परियोजना आकलन/आंतरिक आकलन नहीं किया जाएगा। परियोजना आकलन/आंतरिक आकलन के अंकों की संगणना वर्तमान परीक्षा यानी 2024 में थ्योरी में प्राप्त अंकों के आधार पर यथानुपात की जाएगी।

अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों द्वारा निम्नलिखित तथ्यों/बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए:

(क) प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के लिए तिथियां

प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 फरवरी (गुरुवार) से 15 मार्च (शुक्रवार) 2024 तक आयोजित की जाएंगी।

(ख) प्रैक्टिकल परीक्षा स्थल

थ्योरी परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रो में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

(ग) बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक के नियुक्ति

कक्षा-XII के सभी छात्रों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। केंद्र अधीक्षक द्वारा अपने स्कूल के शिक्षकों में से आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

यदि किसी विषय में परीक्षा केंद्र स्कूल में शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो आंतरिक परीक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए निकटवर्ती स्कूल को शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

(घ) प्रैक्टिकल के लिए उत्तर पुस्तिकाएँ

प्रैक्टिकल परीक्षा के संचालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आपूर्ति की गई प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षक प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक और सही ढंग से पूरा करें।

(ङ) अंकों की अपलोडिंग

प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के बाद, केंद्र उन प्राइवेट छात्रों के अंक अपलोड करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं केंद्र में सम्पन्न की गई हैं। आंतरिक और बाह्य परीक्षकों के हस्ताक्षर के बाद अंकों की सूची(अवार्ड सूची) भी प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन ही अपलोड की जाएगी, **जैसा कि परिपत्र सं. सीबीएसई /समन्वय/2023/प्रैक्टिकल/ ई-71926 दिनांक11/12/2023(यहां भी संलग्न है) के तहत प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के लिए परिचालित दिशा-निर्देश और एसओपी के परिशिष्ट-II (पृष्ठ 9-10) के खंड 10,11,12, और 13 में वर्णित है।**

केंद्र को आबंटित प्राइवेट छात्रों की सूची केंद्र/स्कूल लॉग-इन खाते में प्रदर्शित होगी। केंद्र स्कूल अपने लॉग-इन खातों से अंक अपलोड कर सकते हैं।

(च) छात्रों/परीक्षार्थियों द्वारा कार्रवाई

छात्र/परीक्षार्थी अपने पिछले परिणाम/अंक तालिका की एक प्रति और वर्तमान परीक्षा यानि 2024 के प्रवेश पत्रक के साथ अपने परीक्षा केंद्रों से तत्काल संपर्क करेंगे।

छात्र/परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र द्वारा दी गई प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि और समय को नोट करेंगे और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र से निर्धारित समय पर रिपोर्ट करेंगे।

(छ) परीक्षा केंद्रो पर कार्रवाई

I. परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक उन सभी छात्रों की सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं कक्षावार एवं विषयवार आयोजित की जानी हैं।

II. जहां भी आवश्यक हो, बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक पहले से ही क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर लेंगे।

III. परीक्षा केंद्र का केंद्र अधीक्षक किसी भी स्थिति में अपने स्तर पर बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा।

IV. बाह्य परीक्षकों की उपलब्धता, परीक्षार्थियों की सुविधा एवं तिथिपत्रक को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि और समय निर्धारित किया जाएगा।

V. छात्रों/परीक्षार्थियों को परीक्षा संचालन की तिथि और समय के विषय में अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

VI. प्रैक्टिकल परीक्षा संचालन की योजना की जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों की दी जाएगी।

(झ) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

I. क्षेत्रीय कार्यालय उन सभी छात्रों की सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं केंद्रवार और विषयवार आयोजित की जानी हैं।

II. क्षेत्रीय कार्यालय भी छात्रों को उनकी लंबित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में सूचित करेंगे।

III. जहां भी आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालय अग्रिम रूप से बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

IV. क्षेत्रीय कार्यालय प्रैक्टिकल परीक्षाओं के समय पर सम्पन्न करने, अंकों को अपलोडिंग और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

(I) क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम तिथि तक सभी छात्रों के अंक बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं।

हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि वेब प्रबंधक को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए